केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 334006

क्रमांकः–3(35)BK/2009/ दिनांकः– 04.03.16

निविदा प्रपत्र

1. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 28.03.2016 दोपहर 1.00 बजे
2. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 28.03.2016 दोपहर बाद 3.00 बजे से
3. अरनेस्ट राशि : रू.10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार मात्र
4. निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन
5. निविदा शुल्क : रू.1,000/–

संस्थान के नकारा/अतिरिक्त जानवरों के निस्पादन बाबत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुबंध दरों हेतु निविदा के नियम एवं शर्तें आदि नीचे दिये अनुसार हैः

क.सं.	जानवर की श्रेणी	दर (नकारा /अतिरिक्त जीवित जानवर) प्रति किलोग्राम
1.	मेंढा– स्वस्थ	रू. (अक्षरे रूपये प्रति किलो)
2.	भेड– स्वस्थ्य	रू. (अक्षरे रूपये प्रति किलो)
3.	मेंढा एवं भेड–कमजोर	रू. (अक्षरे रूपये प्रति किलो)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली–भांति पढ़ ली हैं तथा मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार हैं। साथ ही मै यह भी वचन देता हूँ कि मुझे उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।यह मेरे संज्ञान में भली–भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में अधिकतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
पूरा पता
मोबाईल नं.

नियम एवं शर्तें–

1. निविदा इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र पर ही स्वीकार की जायेगी। सशर्त एवं तार द्वारा भेजी गई तथा देरी से प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी। साथ ही पहचान पत्र (सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत) की फोटो प्रति संलग्न करना अति आवश्यक है इसके बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. दर प्रति किलो (जीवित) जानवर के हिसाब से देनी होगी। नकारा जानवरों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जानवरों की श्रेणी का निर्धारण समिति द्वारा किया जायेगा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
3. नकारा/अतिरिक्त जानवरों के निष्पादन का अनुबंध एक ही निविदादाता को दिया जाएगा और यदि तीनों श्रेणी में एक ही निविदादाता की उच्च दर नहीं होने की स्थिति में स्वस्थ्य मेंढा एवं भेड के लिए दी गई दर का औसत निकालते हुये प्रथम उच्च दरदाता मानते हुये अन्य श्रेणी कमजोर मेंढा एवं भेड़ की उच्च दर देने के लिए बातचीत के लिए बुलाया जायेगा।
4. निविदा में दर प्रति किलोग्राम (जीवित) जानवर के हिसाब से दर्शाते हुये बन्द लिफाफे में संस्थान के प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम क्रय अनुभाग में टेण्डर बॉक्स और पंजीकृत डाक से दिनांक 28.03.2016 दोपहर 1.00 बजे तक डालना/पहुंचाने पर ही स्वीकार किए जाएंगे। उक्त तिथि को नियत समय बाद, देरी से प्राप्त, सशर्ते व तार द्वार प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा उसी दिन दोपहर बाद 3.00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी और निविदादाता के अतिरिक्त अन्य को उपस्थित होने का अधिकारी नहीं होगा।
5. अनुबंधकर्ताओं को निविदा के साथ रू. 10,000/– अक्षरे दस हजार मात्र बतौर अरनेस्ट राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट CSWRI UNIT ARC, Bikaner के पक्ष में जमा करानी होगी। यदि निविदा प्रपत्र बेवसाइट से लिया जाता है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क का अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना अरनेस्ट राशि और निविदा शुल्क के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

क.प.उ.

6. सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पूर्व रू.30,000/– धरोहर राशि के जमा कराना होगा। उसके बाद ही कार्य आदेश दिया जायेगा। यह राशि अनुबंध कार्य संतोषजनक पूरा होने के उपरांत ही वापस लौटाई जायेगी। कार्य समय पर व संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में जमा करवाई जाने वाली धरोहर राशि जब्त करते हूये कार्य आदेश को निरस्त किया जायेगा।
7. यह अनुबंध दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के लिए मान्य होगा। संस्थान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान/सम्पति का नुकसान होने पर अनुबन्ध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जमा अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और नुकसान की भरपाई ठेकेदार से नकद वसूल की जावेगी। इस संबंध में संस्थान के सक्षम अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा तथा जो ठेकेदार को मान्य होगा।
8. नकारा जानवर प्रत्येक 15 दिनों में या सेक्टर प्रभारी द्वारा निश्चित दिन को सुबह चराई पर जाने से पहले (सर्दियों में प्रातः 8.00 बजे एवं गर्मियों में प्रातः 6.30 बजे) कमेटी के समक्ष तुलाई करवाकर उठाने होंगे। प्रभारी सेक्टर के द्वारा टेलीफोन पर या लिखित में आपको जानवर उठाने के लिये तारीख व समय सूचित किया जायेगा। आपको बिना चूक उसी निर्धारित समय पर उपस्थित होकर समिति के सामने जानवर तुलवाकर उसकी कीमत जमा करानी होगी और तुरन्त जानवर उठाने होगें।
9. प्रभारी सेक्टर द्वारा मोबाईल/दूरभाष पर सूचना देने के बाद यदि ठेकेदार समय पर सेक्टर पर उपस्थित नहीं होता है तो उस स्थिति में मृत जानवर की कीमत बुक वेल्यू के हिसाब से ठेकेदार को जमा करवानी होगी अन्यथा जमा धरोहर राशि में से यह कीमत वसूल कर ली जायेगी।
10. पेटी ठेका मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
11. किसी भी प्रकार के विवाद में प्रभागाध्यक्ष/निदेशक महोदय का निर्णय ही अंतिम होगा जिसे मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
12. आदेश में वर्णित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करने का इकरारनामा रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉप पेपर पर पंजीकृत नोटरी पब्लिक से अपने खर्चे पर प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अग्रिम राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
13. संस्थान को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रभारी कय एवं भण्डार
प्रभारी, क्रय एवं भण्डार
केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर–334006

मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को पढकर अच्छी तरह समक्ष लिया है तथा सभी नियम व शर्ते मुझे मान्य/स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
पूरा पता
मोबाईल नं.